बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(समाज कल्याण निदेशालय)

फैक्स/ईमेल

सं0सं0-10/विविध-04/2022-

## आवश्यक सूचना (किशोर न्याय बोर्ड)

बिहार किशोर न्याय नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक सदस्यों के चयन हेतु लिखित परीक्षा दिनांक-22.09.2024 (रविवार) को **CHANAKYA NATIONAL LAW UNIVERSITY, NYAYA-NAGAR, MITHAPUR, PATNA-800001 में आयोजित की गई है।** निदेशित किया जाता है कि उक्त परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र दो प्रतियों में डाउनलोड कर उस पर दो पासपोर्ट साईज का फोटो जो आवेदन के समय दिये गये हैं, चिपकाकर एवं संबंधित सूचना भरकर आधार कार्ड (मूल एवं छाया प्रति के साथ) परीक्षा स्थल **Chanakya National Law University, Nyaya-Nagar, Mithapur, Near Jakkanpur Police Station, Patna-800001** में दिनांक-22.09.2024 (रविवार) को समय 01:00 बजे अपराहन में उपस्थित होना सुनिश्चित करें, ताकि आधार कार्ड के आलोक में उनकी जाँच समय पर सम्पन्न की जा सके। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में अंकित महत्वपूर्ण निर्देश निम्नवत है :

1. **दिनांक-22.09.2024 (रविवार) को परीक्षा 02:00 बजे अपराहन से प्रारंभ होकर 03:30 बजे अपराहन में समाप्त होगी।**
2. **प्रवेश पत्र डाउनलोड कर दो प्रतियों में फोटो के साथ परीक्षा के दिन लाना आवश्यक है।**
3. उम्मीदवार परीक्षा हॉल छोड़ने से पहले प्रवेश पत्र में निरीक्षक से हस्ताक्षर करवाएंगे क्योंकि इसे आपके दस्तावेज़ के सत्यापन के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. **उम्मीदवारों को अपराहन 01:00 बजे परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, और अपराहन 01:45 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
5. **फोटो युक्त परिचय पत्र के रूप में आधार कार्ड (मूल प्रति के साथ छायाप्रति) लाना अनिवार्य है।**
6. परीक्षा परिसर में पुस्तक, नोटबुक, कैलकुलेटर, घड़ी कैलकुलेटर, पेजर, ब्लूटूथ, स्मार्टवॉच और बिल्ट-इन कैलकुलेटर/मेमोरीवाले सेल फोन, डिजिटल डायरी, या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या आईटी डिवाइस या रिकॉर्डिंग डिवाइस के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
7. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों या कदाचार या किसी भी कदाचार का सहारा लेते हुए पाया जाता है, जिसमें परीक्षा के दौरान किसी भी उम्मीदवार को सहायता देना / प्राप्त करना शामिल है, तो उसे परीक्षा हॉल से निष्कासित कर दिया जाएगा। साथ ही बिहार परीक्षा आचरण अधिनियम एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
8. उम्मीदवारों को परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
9. उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट के दौरान और परीक्षा समाप्त होने से 30 मिनट पहले वॉशरूम जाने की अनुमति नहीं होगी।
10. **ओएमआर उत्तर पुस्तिका अपराहन 01:45 बजे वितरित की जाएगी। प्रश्न पुस्तिका अपराहन 01:55 बजे वितरित की जाएंगी।**
11. परीक्षा शुरू होने के बाद, उम्मीदवार को प्रश्न पुस्तिका खोलनी होगी और अनुरोध किया जाता है कि प्रश्नों का उत्तर देने से पहले प्रिंट में किसी भी विसंगति की जांच कर लें अन्यथा कोई दूसरी प्रश्न पुस्तिका प्रदान नहीं की जाएगी।

12. प्रश्न पुस्तिका के सत्यापन के बाद ही, उम्मीदवार को अपना नाम, जन्म तिथि, आवेदन संख्या, प्रश्न पुस्तिका संख्या, प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला और परीक्षा की तारीख, ओएमआर उत्तर पत्रक पर केवल नीले/काले रंग के बॉल प्वाइंट पेन से दिए गए स्थान पर दर्ज करनी होगी। किसी अन्य रंग की स्याही या पेंसिल का प्रयोग वर्जित है।
13. प्रश्न पुस्तिका में 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनमें से प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प होंगे। उम्मीदवार को सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना होगा और ओएमआर उत्तर पुस्तिका में संबंधित गोले को केवल नीले/काले रंग के बॉल प्वाइंट पेन से छायांकित करना होगा।
14. लिखित परीक्षा के लिए **अधिकतम अंक 70 (सत्तर) हैं** जिनमें से **50 (पचास) अंक** बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए और **20 (बीस) अंक** दो लघु निबंध-प्रकार के प्रश्नों के लिए हैं। प्रत्येक लघु निबन्ध प्रश्नों की न्यूनतम शब्द सीमा 250 (दो सौ पचास) है। दोनों तरह के प्रश्नों के लिए कुल एक घंटा, तीस मिनट का समय दिया जाएगा।
15. प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होंगे। किसी भी प्रश्न में कोई विसंगति/त्रुटि पाए जाने की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण में प्रश्न को प्रामाणिक और सही माना जाएगा।
16. परीक्षा पूरा होने के बाद उम्मीदवार ओएमआर रिस्पांस शीट की कार्बनाइज्ड कॉपी को अलग कर सकते हैं (वैध प्रदान किया गया है) और इसे संदर्भ के लिए अपने पास रख सकते हैं। ओएमआर रिस्पांस शीट (मूल) का पहला पृष्ठ परीक्षा के अंत में निरीक्षक को सौंप दी जाएगी।
17. गलत उत्तरों के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा।

विश्वासभाजन

(कौशल किशोर)
निदेशक, समाज कल्याण

ज्ञापांक-10/विविध-04/2022-1874 पटना, दिनांक- 13.09.2024.

प्रतिलिपि- वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि उपरोक्त सूचना अभ्यर्थियों के ई-मेल पर आज ही भेजवाना सुनिश्चित करें।

(कौशल किशोर)
निदेशक, समाज कल्याण

ज्ञापांक-10/विविध-04/2022-1874 पटना, दिनांक- 13.09.2024.

प्रतिलिपि- रजिस्ट्रार, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(कौशल किशोर)
निदेशक, समाज कल्याण

ज्ञापांक-10/विविध-04/2022-1874 पटना, दिनांक- 13.09.2024.

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(कौशल किशोर)
निदेशक, समाज कल्याण

ज्ञापांक-10/विविध-04/2022-1874 पटना, दिनांक- 13.09.2024.

प्रतिलिपि- आई०टी० मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आवश्यक सूचना एवं प्रवेश पत्र की प्रति आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

(कौशल किशोर)
निदेशक, समाज कल्याण